BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

नक्सल-मुक्त भारत

एकीकृत रणनीतियों से वामपंथी उग्रवाद पर निर्णायक प्रहार

24 नवंबर, 2026

भारत ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावी रूप से मुक्ति की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अब देश का कोई भी जिला वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित नहीं है। यह परिवर्तन एकीकृत रणनीति के परिणामस्वरूप संभव हुआ है, जिसमें सुरक्षा अभियान, बुनियादी ढांचे का विस्तार, आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों का पुनर्वास, जनजातीय कल्याण और सुशासन जैसे पहलुओं को शामिल किया गया। इस समन्वित दृष्टिकोण से हिंसा की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है, दूरदराज के क्षेत्रों में सरकारी उपस्थिति मजबूत हुई है और समावेशी विकास को गति मिली है। इससे इन क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि की स्थायी नींव तैयार करने में मदद मिली है।

शांति और सुरक्षा का नया युग

भारत लगभग छह दशकों तक वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की चुनौती से जूझता रहा था। यह कोई दूर की या काल्पनिक समस्या नहीं थी, बल्कि लाखों जनजातीय परिवारों और उन गांवों के लोगों की रोजमर्रा की हकीकत थी, जो सड़कों, स्कूलों तथा समावेशी विकास के व्यापक अवसरों से वंचित थे। इन क्षेत्रों में लगातार हिंसा का माहौल बना रहता था और लोगों का दैनिक जीवन अनिश्चितता से भरा होता था।

इस स्थिति में 31 मार्च 2026 को ऐतिहासिक बदलाव आया। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के सफर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ, जब देश नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो गया। मई 2014 में मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के समय 'रेड कॉरिडोर' यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्र देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने मौजूद सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक थे। इससे पहले अपनाई गई रणनीतियां काफी हद तक बिखरी हुई थीं और मुख्य रूप से घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने तक सीमित थीं। समस्या की मूल वजहों को दूर करने के बजाय उसके लक्षणों पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जाता था। बाद में, इस चुनौती से निपटने के लिए अधिक व्यापक और एकीकृत रणनीति अपनाई गई।

पिछले बारह वर्षों में तीन परस्पर पूरक रणनीतियों के माध्यम से यह बदलाव संभव हुआ। पहली रणनीति के तहत सुरक्षा अभियानों को मजबूत किया गया, विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया, आत्मसमर्पण और पुनर्वास के लिए व्यवस्थित ढांचा तैयार किया गया तथा स्थानीय समुदायों तक निरंतर पहुंच बनाई गई, ताकि सरकार के प्रति लोगों का भरोसा बहाल हो सके। दूसरी रणनीति के तहत बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया, जिसमें भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार, दूरदराज के क्षेत्रों तक शासन की पहुंच बढ़ाना और स्थायी आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना शामिल था। तीसरी रणनीति का केंद्र कल्याणकारी योजनाएं रहीं, जिनका उद्देश्य लोगों को सम्मानजनक जीवन के अवसर प्रदान करना, समावेशी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना तथा प्रभावित समुदायों को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ना था।

इनमें से हर एक पहलू दूसरे को मजबूत बनाता था। सुरक्षा ने विकास के लिए जगह बनाई। विकास ने भरोसे को गहरा किया। भरोसे ने कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई। यह कोई क्रम नहीं था; बल्कि यह प्रगति की एक ऐसी कड़ी थी जिसे अलग नहीं किया जा सकता।



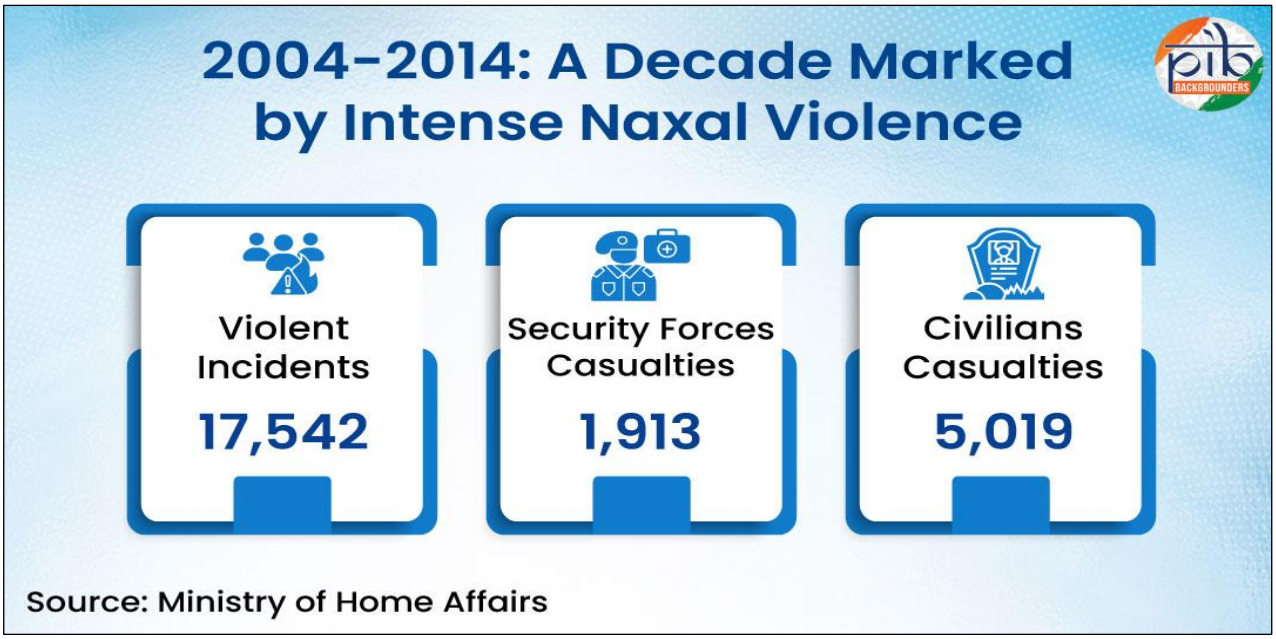
राज्य में विश्वास बहाल करना

इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य संवेदनशील एवं दूरदराज के क्षेत्रों में सरकारी उपस्थिति सुनिश्चित करके लोगों का भरोसा और विश्वास बहाल करना था। इसके तहत सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक संस्थानों के बीच समन्वय को मजबूत किया गया, ताकि किसी भी परिस्थिति में प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सके। इस पहल से स्थानीय समुदायों और सरकारी व्यवस्था के बीच लंबे समय से बनी दूरी को कम करने में मदद मिली।

साल 2014 से पहले हिंसा का चरम स्तर

वामपंथी उग्रवाद की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी विद्रोह से हुई थी। यह आंदोलन माओवादी विचारधारा और सशस्त्र क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था। इसका मूल विचार था कि सत्ता बंदूक की नली से हासिल की जा सकती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, नक्सलियों के लगभग 92 प्रतिशत हथियार सीधे पुलिस के शस्त्रागारों से लूटे गए थे। समय के साथ, वर्ष 2004 में कई उग्रवादी संगठन मिलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) यानी सीपीआई के तहत

एकजुट हो गए। इसके बाद यह संगठन भारत की आंतरिक सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया।



वर्ष 2004 से 2014 तक का दशक वामपंथी उग्रवाद के इतिहास के सबसे हिंसक दौरों में से एक था। साल 2010 में हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई, जब एक ही वर्ष में 1,936 हिंसक घटनाएं दर्ज की गईं और 720 आम नागरिकों की जान गई। इस पूरे दशक के दौरान कुल 17,542 हिंसक घटनाएं हुईं, जिनमें सुरक्षा बलों के 1,913 जवान और 5,019 आम नागरिक मारे गए।

उस समय वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए कोई एकीकृत राष्ट्रीय नीति नहीं थी। विभिन्न राज्य सरकारें आपसी समन्वय के अभाव में अलग-अलग तरीके से काम कर रही थीं। हालांकि, वर्ष 2009 में सरकार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि नक्सलवाद देश के सामने मौजूद सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक है और इसका भौगोलिक विस्तार कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों से भी कहीं अधिक है।

नीतिगत बदलाव: बिखरी हुई प्रतिक्रिया से एकीकृत रणनीति की ओर

पहला निर्णायक कदम वर्ष 2015 में उठाया गया, जब वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' को मंजूरी दी गई। इसने पहले अपनाए जा रहे तदर्थ दृष्टिकोण की जगह एक व्यवस्थित और समग्र सरकारी रणनीति का मार्ग प्रशस्त किया। सुरक्षा उपायों के तहत राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, दूरदराज के क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने तथा राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। इसके अंतर्गत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती, विशेष प्रशिक्षण और 'सुरक्षा संबंधी व्यय', 'विशेष बुनियादी ढांचा योजना' तथा 'विशेष केंद्रीय सहायता' (एससीए) जैसी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही, सुरक्षा उपायों के अलावा वामपंथी उग्रवाद के सामाजिक-आर्थिक मूल कारणों को दूर करने पर भी ध्यान दिया गया। वर्ष 2017 में विशेष केंद्रीय सहायता योजना की शुरुआत के बाद से अब तक लगभग 4,318.52 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

'विशेष बुनियादी ढांचा योजना' (एसआईएस) के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहे राज्यों में विशेष बलों, विशेष खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत करने के साथ-साथ किलेबंद पुलिस थानों के निर्माण के लिए 1,761 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

वर्ष 2014-15 से अब तक 'सुरक्षा संबंधी व्यय' (एसआरई) योजना के तहत 3,877.98 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य सुरक्षा बलों की परिचालन संबंधी जरूरतों को पूरा करने, उनकी क्षमता बढ़ाने एवं प्रशिक्षण में सहायता करना; वामपंथी उग्रवाद छोड़कर आत्मसमर्पण करने वालों का पुनर्वास करना; तथा शहीद सुरक्षाकर्मियों और हिंसा में मारे गए नागरिकों के परिजनों को अनुग्रह राशि प्रदान करना है।

भारत ने पहली बार वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए चार-सूत्रीय रणनीति पर आधारित एक व्यवस्थित और व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। इसमें सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना, तीव्र विकास को बढ़ावा देना, अधिकारों और पात्रताओं को सुनिश्चित

करना तथा जन-धारणा का प्रबंधन करना शामिल है। गृह मंत्रालय के तहत अधिक केंद्रीय रूप से समन्वित ढांचे के माध्यम से सरकार की इन पहलों को दिशा दी गई, जिससे नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और विभिन्न स्तरों पर बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने में मदद मिली।



भारत को नक्सलवाद के डर और हिंसा से मुक्त करने का लक्ष्य, केंद्रित योजना तथा समन्वित कार्रवाई के माध्यम से हासिल किया गया। 24 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल-मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था। सुरक्षा अभियानों को तेज करने, बेहतर समन्वय, बुनियादी ढांचे के विस्तार और विकास कार्यों में तेजी लाने के जरिए, यह लक्ष्य तय समय पर पूरा कर लिया गया।

सुरक्षा ग्रिड का निर्माण

सरकार ने बुनियादी ढांचे के विस्तार, विशेष बलों की तैनाती और बेहतर परिचालन समन्वय के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी कमियों को

व्यवस्थित तरीके से दूर किया। इस एकीकृत दृष्टिकोण से 'रेड कॉरिडोर' यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी उपस्थिति, आवागमन, खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और उग्रवाद-विरोधी अभियानों की क्षमता को मजबूती मिली।

वर्ष 2014 से पहले मौजूद 169 सुरक्षा कैंपों की तुलना में अब 668 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, क्षेत्रों पर बेहतर नियंत्रण बनाए रखने और दूरदराज के जंगलों में निरंतर अभियान चलाने के लिए 615 किलेबंद पुलिस थाने (फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन-एफपीएस) स्थापित किए गए हैं।

दूरदराज के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की त्वरित तैनाती के लिए 68 ऐसे हेलीपैड बनाए गए हैं, जहां रात के समय भी हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। इससे जवानों की आवाजाही, घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने और निगरानी गतिविधियों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा, सुरक्षा बलों को 400 बुलेटप्रूफ और विस्फोट-रोधी वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। उनके कल्याण और चिकित्सा सहायता के लिए पांच अस्पताल भी बनाए गए हैं।

विशेष बलों का एकीकरण: कोबरा, जिला रिजर्व गार्ड, विशेष कार्य बल और ग्रेहाउंड्स

एक बहुस्तरीय और विशिष्ट सुरक्षा ढांचा विकसित किया गया, जिसके तहत कोबरा (कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) तथा झारखंड जगुआर, छत्तीसगढ़ पुलिस की विशेष इकाइयों और आंध्र प्रदेश के ग्रेहाउंड्स जैसे विशिष्ट राज्य बलों को एक साथ लाया गया। डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा के संयुक्त प्रशिक्षण से स्पष्ट कमान संरचना वाला एक एकीकृत और अंतर-संचालनीय सुरक्षा बल तैयार हुआ।

प्रौद्योगिकी: बदलाव का एक बड़ा कारक

केंद्र सरकार ने साल 2014 के बाद आधुनिक तकनीक के व्यापक उपयोग के माध्यम से नक्सल-विरोधी अभियानों की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव किया।

मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी), ड्रोन, उपग्रह इमेजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा विश्लेषण की मदद से वास्तविक समय में निगरानी तथा सटीक सूचनाएं जुटाना संभव हुआ। इसके अलावा, उन्नत लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, कॉल लॉग का वैज्ञानिक विश्लेषण, मोबाइल डेटा एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की निगरानी जैसी प्रणालियां भी लागू की गईं। गृह मंत्रालय ने इन तकनीकी माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग नक्सली गतिविधियों पर नजर रखने, संचार के तरीकों का विश्लेषण करने और अभियानों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए किया।

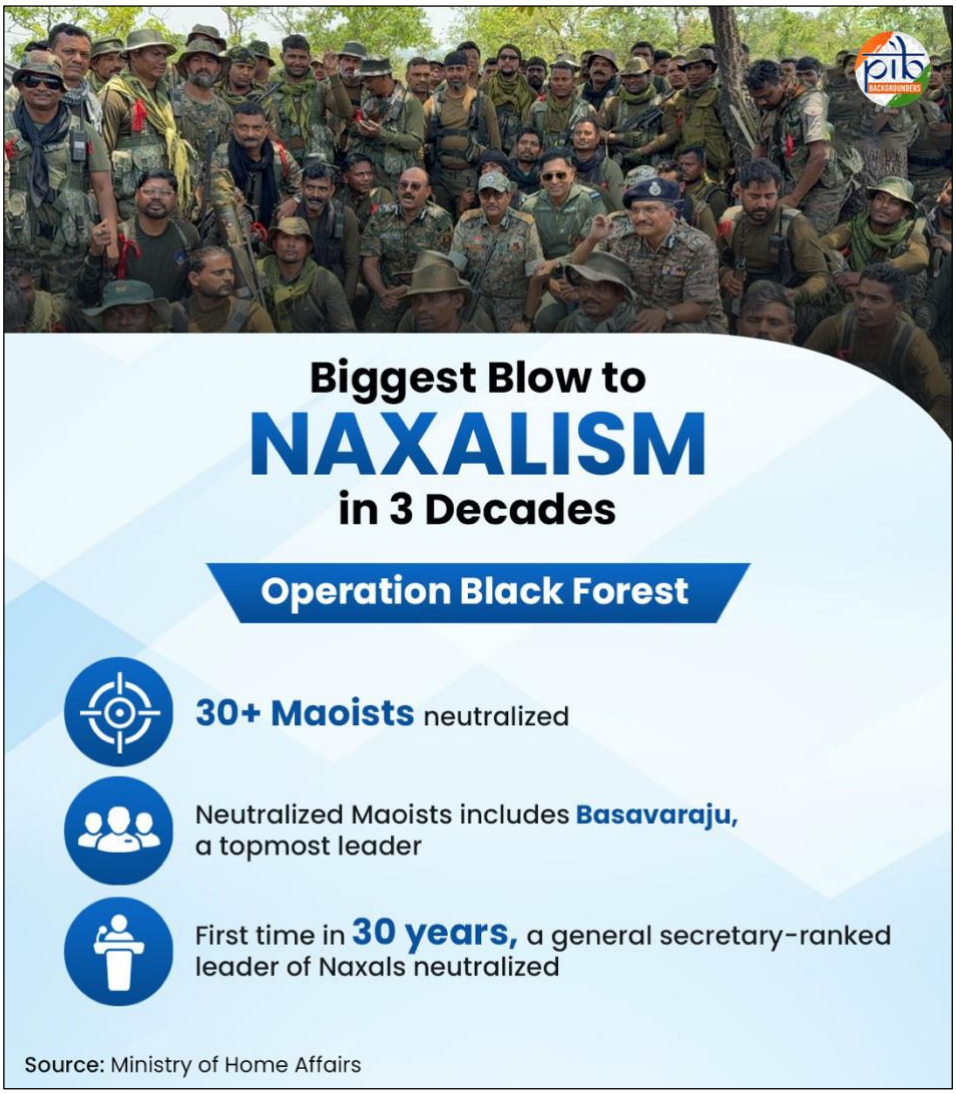
पता लगाने, निशाना साधने और बेअसर करने के लिए निर्णायक अभियान



सरकार की 'ट्रेस, टारगेट, न्यूट्रलाइज' नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। सरकार ने लगातार चलाए गए सुरक्षा अभियानों और खुफिया सूचनाओं पर आधारित रणनीतियों के माध्यम से उन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तथा नियंत्रण बहाल किया, जो तीन दशकों से भी अधिक समय से वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव में थे।

'ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट', 'ऑपरेशन ऑक्टोपस', 'ऑपरेशन डबल बुल', 'ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म', 'ऑपरेशन भीमबांध' और 'ऑपरेशन चक्रबांध' जैसे कई समन्वित अभियानों ने प्रभावित क्षेत्रों में माओवादी नेटवर्क को काफी कमजोर किया। इनमें से 'ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट' एक बड़ी सफलता साबित हुआ। इस अभियान में माओवादियों के एक प्रमुख गढ़ को ध्वस्त किया गया और 30 से अधिक माओवादी मारे गए। इसके बाद गिरफ्तारियों और आत्मसमर्पण की घटनाओं में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वहीं, 'ऑपरेशन डबल बुल' के परिणामस्वरूप गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिले नक्सल-मुक्त हो गए।

कुल मिलाकर, इन अभियानों ने लंबे समय से नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी उपस्थिति बहाल करने, उग्रवादी प्रभाव कम करने और सुरक्षा, सुशासन तथा विकास कार्यों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

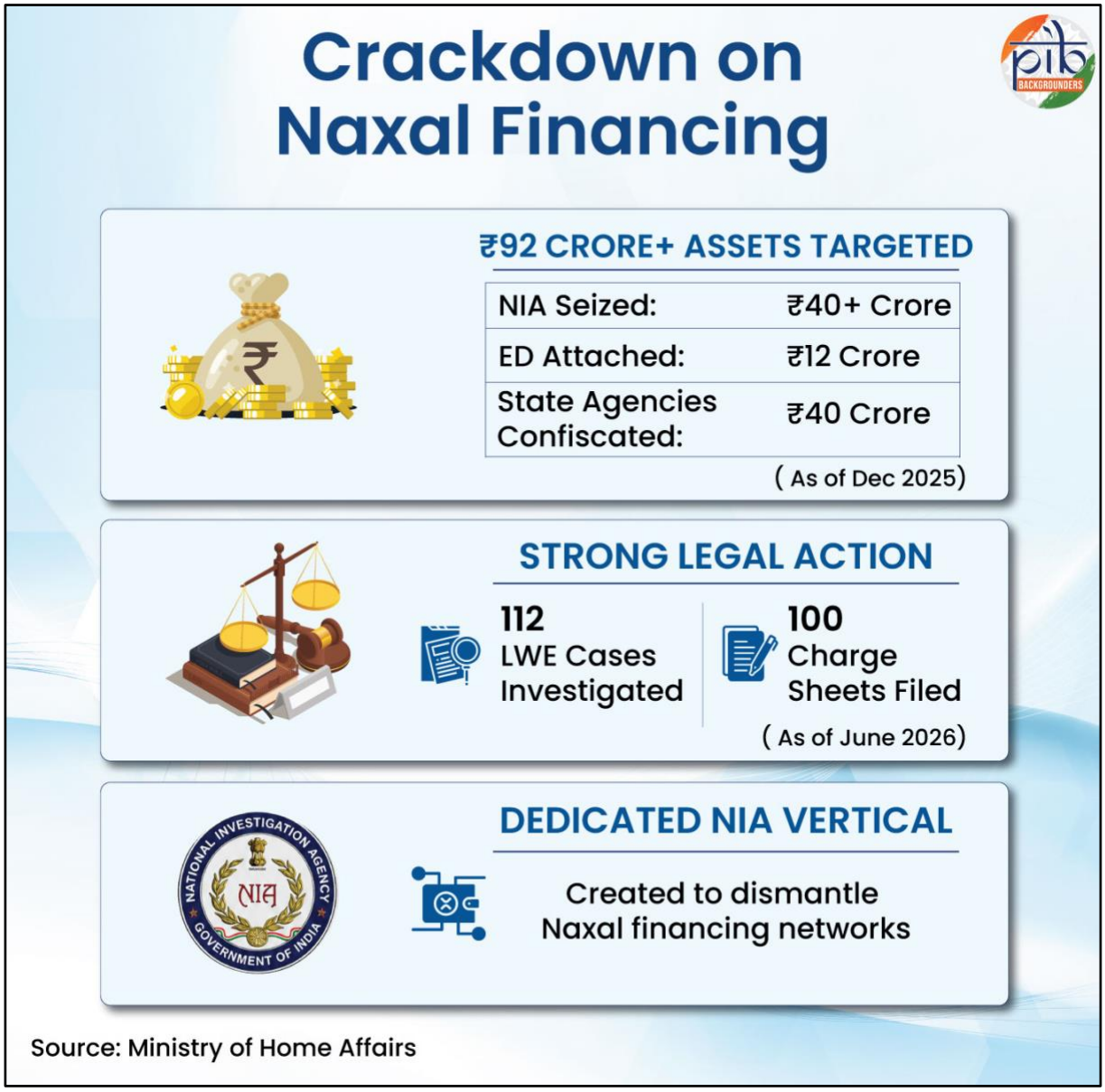


भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सभी पोलित ब्यूरो सदस्यों (पीबीएम) और केंद्रीय समिति के सदस्यों (सीसीएम) को निष्प्रभावी किया जा चुका है। वर्ष 2014 से अब तक कुल 41 पीबीएम और सीसीएम निष्प्रभावी किए गए हैं।

सहयोग तंत्र को ध्वस्त करना

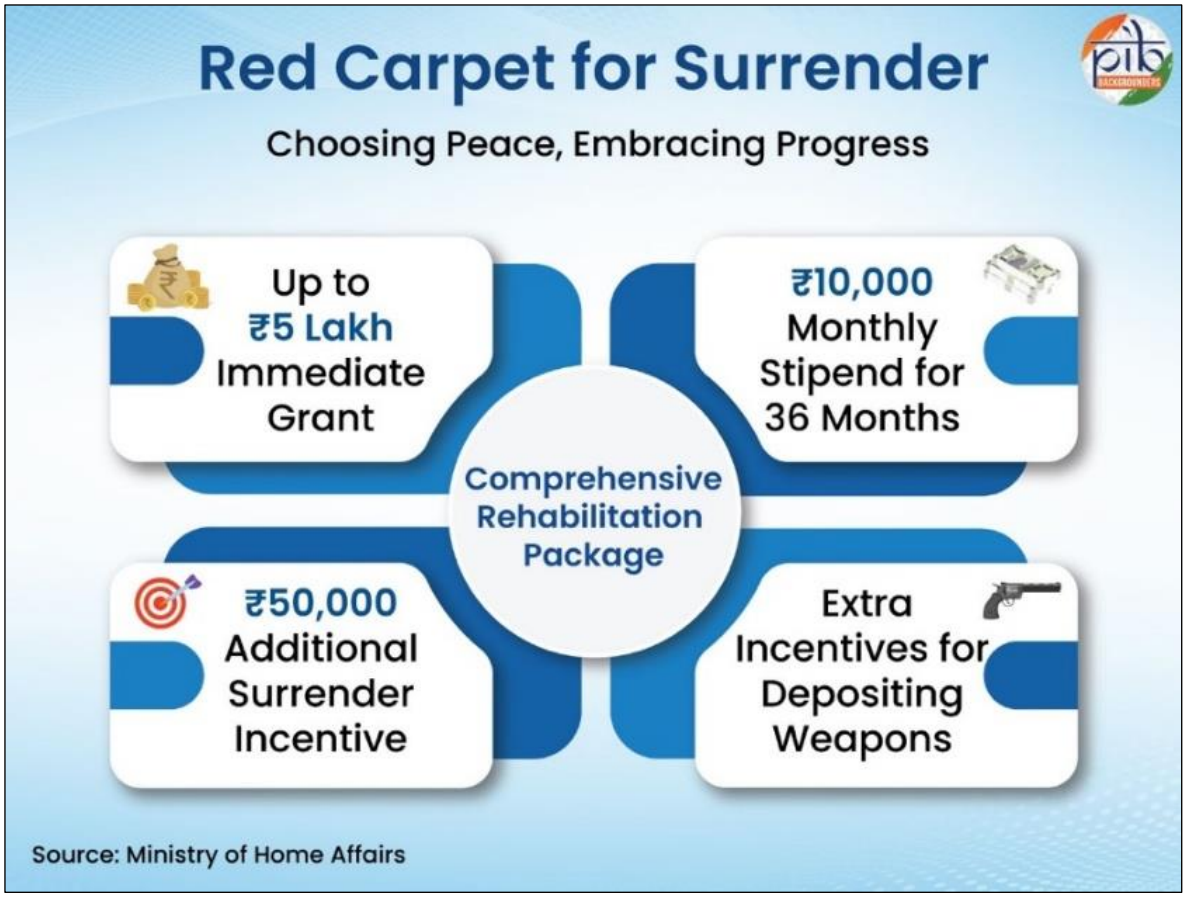
केंद्र सरकार ने एक व्यापक सभी एजेंसियों को शामिल करने वाला दृष्टिकोण अपनाया, जिसका उद्देश्य केवल हथियारबंद कैडर को निशाना बनाना नहीं, बल्कि उन्हें सहायता और सहयोग देने वाले पूरे तंत्र को ध्वस्त करना था। विकास के क्षेत्र में इसके तहत समग्र सरकारी तंत्र दृष्टिकोण अपनाया गया, जबकि सुरक्षा अभियानों में सभी एजेंसियों की संयुक्त भागीदारी वाली रणनीति पर जोर दिया गया। नक्सली वित्तपोषण नेटवर्क को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)

के भीतर एक विशेष विभाग बनाया गया। दिसंबर 2025 तक एनआईए 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुकी थी। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 12 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की, जबकि राज्य की एजेंसियों ने 40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्ति जब्त की। जून 2026 तक एनआईए के पास वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से जुड़े मामलों की कुल संख्या 112 हो गई थी, जिनमें से 100 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके थे।



आत्मसमर्पण करने वालों के लिए रेड कार्पेट

सरकार ने सख्त सुरक्षा कार्रवाई के साथ-साथ पुनर्वास पर केंद्रित दृष्टिकोण भी अपनाया है। इसका स्पष्ट संदेश है–"जो लोग हथियार डाल देते हैं, उनके लिए रेड कार्पेट बिछा है।" आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों में उच्च रैंक वाले सदस्यों को तत्काल 5 लाख रुपये और अन्य कैडरों को 2.5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त, उन्हें 36 महीनों तक हर माह 10,000 रुपये का वजीफा भी दिया जाता है। आत्मसमर्पण करने पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यदि पूरा समूह एक साथ आत्मसमर्पण करता है, तो यह राशि दोगुनी हो जाती है। इसके अलावा, हथियार जमा करने पर अलग से मुआवजा भी दिया जाता है।



पुनर्वास नीति के चलते आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। नवंबर 2026 तक लगभग 8,526 नक्सली हथियार डालकर मुख्यधारा में लौट चुके थे। नागरिक समाज के सदस्यों, पत्रकारों, सामुदायिक नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भी इन प्रयासों को मजबूती दी। उन्होंने पुनर्वास

उपायों के प्रति भरोसा कायम करने और प्रभावित लोगों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हाल के घटनाक्रमों ने सुरक्षा अभियानों एवं पुनर्वास की इस संयुक्त रणनीति की प्रभावशीलता को और रेखांकित किया है। 28 जुलाई 2026 को 'नई दिशा, नई पहल' नक्सल-विरोधी अभियान के तहत कोल्हान और लातेहार क्षेत्रों के 16 सक्रिय माओवादियों ने रांची में आत्मसमर्पण किया। ऐसा करने वालों में एक क्षेत्रीय कमांडर, तीन जोनल कमांडर, तीन सब-जोनल कमांडर, छह एरिया कमांडर और कैडर स्तर के तीन सदस्य शामिल थे। उन्होंने 11 अत्याधुनिक आग्नेयास्त्रों, 38 मैगजीन और 1,562 राउंड गोला-बारूद के साथ आत्मसमर्पण किया।

इसके अलावा, 29 जुलाई 2026 को कुल 49 लाख रुपये के इनामी आठ और माओवादियों ने बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। यह वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसी दिन सुरक्षा बलों ने धनबाद-गिरिडीह सीमा क्षेत्र से एक शीर्ष माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य को गिरफ्तार किया, जिस पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। खुफिया सूचनाओं के आधार पर चलाए गए इस संयुक्त अभियान में 15 लाख रुपये का इनामी एक क्षेत्रीय समिति सदस्य, एक अन्य माओवादी कैडर और दो ग्रामीणों को भी पकड़ा गया।

सुरक्षा के क्षेत्र में हासिल की गई ये उपलब्धियां केवल कानून-व्यवस्था बहाल करने तक सीमित नहीं थीं, बल्कि इन्होंने दीर्घकालिक विकास की मजबूत नींव भी रखी। प्रत्येक किलेबंद पुलिस स्टेशन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का हर कैंप और आत्मसमर्पण करने वाला प्रत्येक कैडर उन क्षेत्रों में शासन की पहुंच बढ़ाने का माध्यम बना, जहां पहले पहुंचना कठिन था। बेहतर सुरक्षा व्यवस्था ने आदिवासी समुदायों तक सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, बैंकिंग सेवाएं और डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। स्थिरता और भरोसे की इसी बहाली ने बुनियादी ढांचे में व्यापक बदलाव की आधारशिला रखी, जिसके परिणाम बाद के वर्षों में दिखाई दिए।

नए भविष्य की नींव: बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी का विस्तार

नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प केवल नक्सलियों को मिटाने तक सीमित नहीं था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बड़े शहरों में मिलने वाली हर सुविधा इस क्षेत्र के गरीब आदिवासियों तक पहुंचे, ताकि उनके बच्चों का भविष्य भी उज्ज्वल हो सके। इस चरण में दूर-दराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और शासन की पहुंच बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। इससे जरूरी सेवाओं, सड़कों और डिजिटल नेटवर्क तक लोगों की पहुंच बेहतर हुई। इन प्रयासों की मदद से, जो इलाके पहले विकास और शासन व्यवस्था से वंचित थे, उन्हें मुख्यधारा के विकास और प्रशासनिक तंत्र से जोड़ा जा सका।

सड़क संपर्क

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए दो प्रमुख योजनाओं 'रोड रिक्वायरमेंट प्लान' (आरआरपी) और 'वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना' (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के तहत कुल 15,189 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है।

पहले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहे कई क्षेत्रों में माओवादी धमकियों और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के कारण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं ठप पड़ी थीं। इन परिस्थितियों में ठेकेदार भी अक्सर काम के लिए बोली लगाने से कतराते थे। ऐसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों के निर्माण की जिम्मेदारी सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को सौंपी गई है।

डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी

आधुनिक समाज में दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रगति का एक प्रमुख आधार बन गई है। ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों के लिए इसका महत्व और भी अधिक है, क्योंकि यह सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने, डिजिटल विभाजन को कम करने, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने तथा आर्थिक अवसरों के सृजन

में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए, प्रभावित क्षेत्रों में 9,561 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के 96 प्रतिशत गांवों (कुल 46,592 में से 44,728 गांवों) में अब मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है। इससे शिक्षा, ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता और आर्थिक विकास के नए अवसरों के द्वार खुले हैं।

रेल कनेक्टिविटी

पहले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहे क्षेत्रों में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में रेल कनेक्टिविटी एक प्रमुख कारक के रूप में उभरी है। दल्ली राजहरा और रावघाट के बीच 95 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन के 140 किलोमीटर लंबे चरण को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा, दंतेवाड़ा और मानुगुरु के बीच 153 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को भी स्वीकृति दी गई है।

किरंदुल-जगदलपुर रेल लाइन के 150 किलोमीटर लंबे दोहरीकरण परियोजना में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसके तहत जगदलपुर-कमलूर और बचेली-किरंदुल खंडों (कुल 130 किलोमीटर) पर रेल परिचालन शुरू हो चुका है तथा ये पूरी परियोजना अब पूर्णता के करीब है।

वित्तीय समावेशन

केंद्र सरकार ने पिछले बारह वर्षों के दौरान वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में वित्तीय समावेशन का व्यापक विस्तार किया है। अप्रैल 2015 से मार्च 2026 के बीच इन क्षेत्रों में 1,804 बैंक शाखाएं खोली गईं, 1,321 एटीएम स्थापित किए गए, 74,720 बैंकिंग प्रतिनिधि नियुक्त किए गए और 6,025 डाकघर खोले गए।

उत्तरदायी और समावेशी शासन

सरकार ने यह महसूस किया कि जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केवल मानक प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए लचीलापन अपनाना और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप

व्यवस्था में बदलाव करना भी आवश्यक है। दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्रों में आधार कवरेज सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और डाक विभाग के सहयोग से विशेष अभियान चलाए गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में विशिष्ट भौगोलिक और धरातलीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भौतिक सर्वेक्षण किया गया, जिसके बाद 294 डाकघर खोले गए। इंटरनेट कनेक्टिविटी और बैंकिंग बुनियादी ढांचे की कमी को देखते हुए, 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (वीबी-जी-राम जी) योजना के शुरुआती स्वरूप के तहत कुछ वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नकद मजदूरी भुगतान और ऑफलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था की अनुमति दी गई। इसी तरह, 'स्वच्छ भारत मिशन' के अंतर्गत बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए 'ग्राम स्वच्छता समितियों' के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त, दूर-दराज के गांवों में अधिकारियों द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड जारी करने के लिए एक ऑफलाइन एप्लिकेशन भी शुरू की गई। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए परिस्थितियों के अनुरूप ढलने वाला शासन कितना महत्वपूर्ण है।

स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र अपनी दुर्गम भौगोलिक स्थिति और वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा के कारण लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की चुनौतियों का सामना करता रहा है। इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत जगदलपुर स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में 240 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को मंजूरी दी। यह अस्पताल अब चालू हो चुका है और 18 मई 2026 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा कर्मियों के लिए स्थापित 11 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के क्षेत्रीय अस्पतालों को स्थानीय आदिवासी समुदायों

के लिए भी खोल दिया गया है। इससे क्षेत्र की स्थानीय आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच में विस्तार हुआ है।

शिक्षा और कौशल विकास



भारत सरकार ने पिछले बारह वर्षों के दौरान, 259 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) को मंजूरी दी है, जिनमें से 179 विद्यालयों में शिक्षण कार्य शुरू हो चुका है। इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों में 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 49 कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) भी स्थापित किए गए हैं। इन पहलों पर कुल मिलाकर लगभग 800 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इन प्रयासों से आदिवासी युवाओं के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों का विस्तार हुआ है। इससे दूर-दराज के समुदायों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जुड़ने में मदद मिली है। अब तक 90,000 से अधिक युवाओं और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (टीवाईईपी) के तहत, पहले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासी युवाओं को राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक जागरूकता और विकास से जुड़े अनुभवों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के विभिन्न हिस्सों के भ्रमण पर ले जाया जाता है। वर्ष 2014 से अब तक कुल 37,655 आदिवासी युवा इस कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं।

सिविक एक्शन प्रोग्राम

भारत सरकार सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को उनके कार्यक्षेत्र में कल्याणकारी गतिविधियां संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन गतिविधियों में चिकित्सा शिविर और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना तथा स्थानीय समुदायों के बीच आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना शामिल है। वर्ष 2014 से अब तक इस कार्यक्रम के तहत 221.88 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इससे सुरक्षा बलों और स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास मजबूत करने तथा आपसी दूरी कम करने में मदद मिली है।

गांवों को जोड़ने वाली सड़कें, संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले मोबाइल टावर, आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने वाले बैंक और आदिवासी युवाओं के लिए स्थापित स्कूल जैसे बुनियादी ढांचे ने जमीनी स्तर पर कल्याणकारी बदलावों को गति दी

है। इन गतिविधियों ने एक ऐसा भौतिक एवं संस्थागत आधार तैयार किया है, जिसके माध्यम से वास्तविक कल्याण, सम्मान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को बढ़ावा देना संभव हुआ है।

प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निरंतर विकास क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। बेहतर कनेक्टिविटी से आर्थिक अवसरों का विस्तार होता है और लोगों की आवाजाही सुगम बनती है। वहीं, दीर्घकालिक निवेश टिकाऊ और समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

क्या आप जानते हैं?

वर्तमान में, भारत के 38 जिलों को लेगेसी और थ्रस्ट जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने के लिए निरंतर सहायता प्रदान की जा रही है।

जन-कल्याण और गरिमा

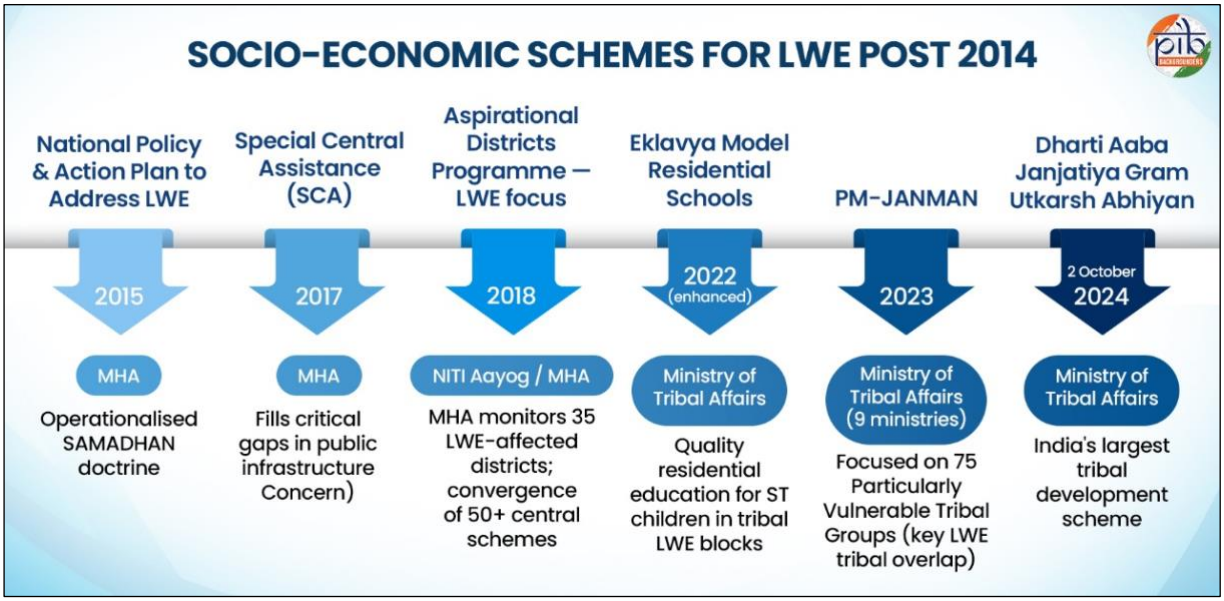
इस रणनीति का अंतिम और महत्वपूर्ण पहलू गरिमा एवं समावेशिता के साथ कल्याणकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य वंचित समुदायों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच को अंतिम छोर तक मजबूत करना है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं का समान लाभ मिले और कोई भी समुदाय विकास की प्रक्रिया से वंचित न रहे।

जनजातीय आजीविका को सशक्त बनाना

जनजातीय कल्याण पर निरंतर ध्यान देने से वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए विकास का विस्तार किया गया, अवसरों तक पहुंच बढ़ाई गई और आदिवासी समुदायों तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संबंधों को मजबूत किया गया। सुरक्षा उपायों के साथ-साथ सरकार ने यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए कि बेहतर शिक्षा, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं,

आवास और आजीविका सहायता के माध्यम से विकास का लाभ दूर-दराज के आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचे।

आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के पुनर्वास की व्यवस्था ने उन्हें मुख्यधारा के समाज से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके तहत कौशल विकास, आजीविका सहायता, 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के माध्यम से आवास सुविधा और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिन गांवों ने नक्सली प्रभाव से मुक्ति पाकर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पंचायतें स्थापित कीं, उन्हें विकास अनुदान प्रदान किए गए। इसके अलावा, आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के बच्चों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा दी गई, जिससे इन परिवारों को सुरक्षित और बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिली।



कई लक्षित कार्यक्रमों ने इस बदलाव को गति दी। राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना में सुरक्षा, विकास, सामुदायिक अधिकारों की रक्षा और धारणा प्रबंधन को एक साथ शामिल किया गया। 'वन अधिकार अधिनियम' के तहत कुल 21,26,273 अधिकार पत्र वितरित किए गए। 'विशेष केंद्रीय सहायता' के माध्यम से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया। 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' ने स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और

कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में बेहतर परिणाम लाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को एक साथ जोड़ा।

शिक्षा बदलाव के प्रमुख स्तंभों में से एक बनकर उभरी है। 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों' (ईएमआरएस) को अधिक समर्थन मिलने से अनुसूचित जनजाति के बच्चों, विशेषकर वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा तक पहुंच बढ़ी है। वहीं, पीएम-जनमन पहल के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके माध्यम से आवास, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक कनेक्टिविटी तक उनकी पहुंच बेहतर बनाने के प्रयास किए गए हैं, जिससे इन वंचित समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिली है।

'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' की शुरुआत से जनजातीय गांवों में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने के प्रयासों को और गति मिली है।

विभिन्न मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों से संचालित इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार करना, आर्थिक अवसरों का विस्तार करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे भारत की विकास यात्रा में पूरी तरह भागीदार बन सकें।

केस स्टडी: छत्तीसगढ़ का नक्सलवाद से विकास तक का सफर

छत्तीसगढ़ का बस्तर कई दशकों तक देश के सबसे अधिक नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा। खराब कनेक्टिविटी, कमजोर प्रशासनिक उपस्थिति और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों ने चरमपंथी समूहों को वहां अपनी मजबूत पकड़ बनाने का मौका दिया। पिछले 12 वर्षों में, सुरक्षा, विकास और आदिवासी भागीदारी को मिलाकर अपनाई गई एक समन्वित रणनीति ने इस क्षेत्र की दिशा ही बदल दी।

साल 2017 में 'बस्तरिया बटालियन' का गठन एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस बटालियन में 1,143 जवानों को भर्ती किया गया, जिनमें बीजापुर, सुकमा और

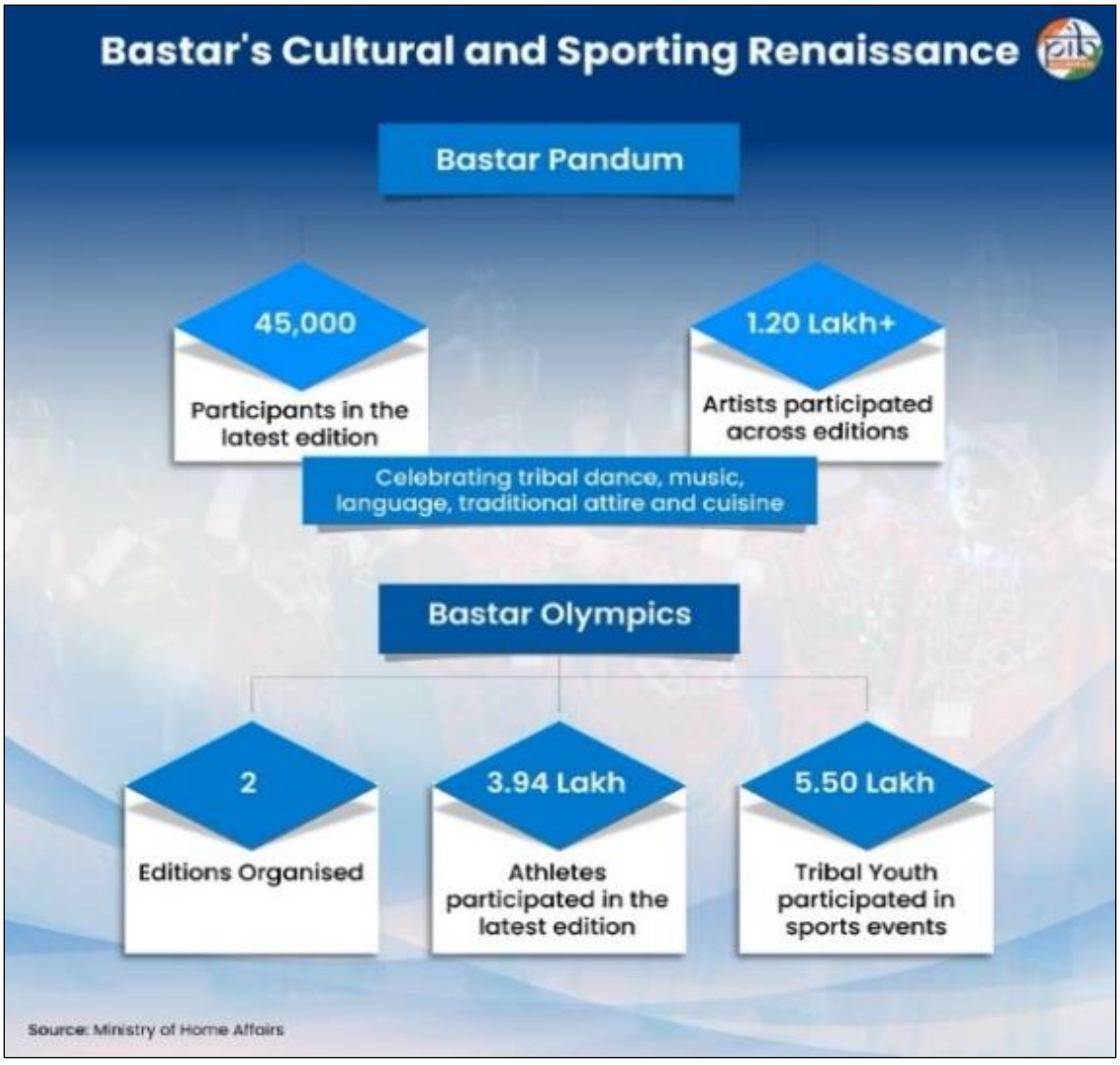
दंतेवाड़ा के लगभग 400 स्थानीय युवा शामिल थे। स्थानीय लोगों की भागीदारी से खुफिया तंत्र मजबूत हुआ, सुरक्षा बलों एवं जनजातीय समुदायों के बीच भरोसा बढ़ा और सरकारी संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास फिर से बहाल करने में मदद मिली।



सुरक्षा की स्थिति में सुधार के साथ ही विकास कार्यों ने गति पकड़ ली। बस्तर क्षेत्र में 3,240 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कें बनाई गईं, जिनमें बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव जिले शामिल हैं। इसके अलावा, डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 889 मोबाइल टावर लगाए गए। जो गांव कभी अलग-थलग थे, वे अब बाज़ारों, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी कार्यक्रमों से जुड़ गए हैं।

सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के पुनर्वास और उन्हें मुख्यधारा में वापस लाने पर भी विशेष ध्यान दिया। लगभग 3,000 आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई, जिसके तहत कौशल विकास, शिक्षा और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शुरुआती तौर पर 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इस पहल का उद्देश्य हिंसा के चक्र को तोड़कर आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करना था।

मई 2026 में छत्तीसगढ़ में 'शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा' पहल की शुरुआत की गई, ताकि सुरक्षा के क्षेत्र में मिली सफलताओं को स्थायी विकास में बदला जा सके। इसके तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लगभग एक-तिहाई शिविरों को 'एकीकृत विकास केंद्रों' में परिवर्तित किया जा रहा है। इन केंद्रों के माध्यम से स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, बैंकिंग सुविधाओं, कृषि सहायता, कौशल विकास और अन्य नागरिक सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।



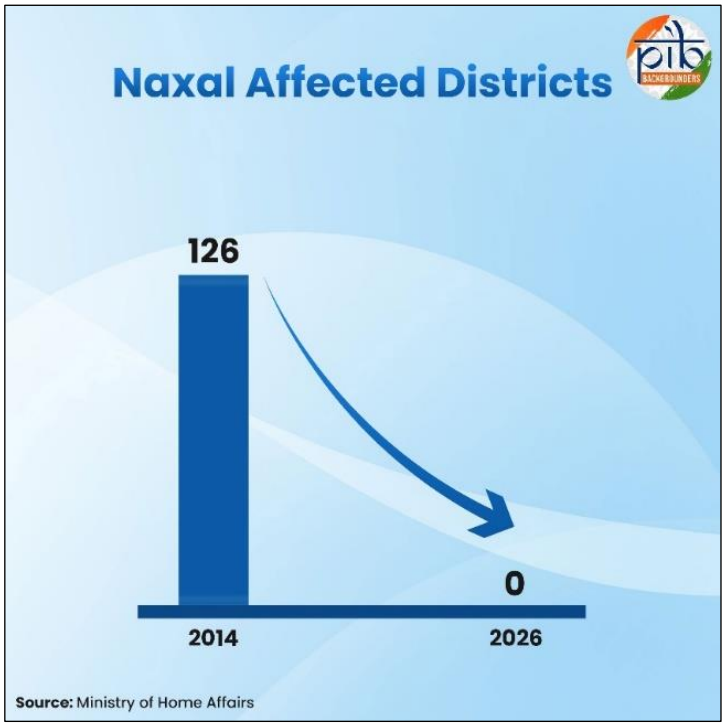
वीर गुंडा धुर की जन्मस्थली नेतानार में ऐसे ही एक केंद्र की स्थापना इस बात का प्रतीक है कि उग्रवाद से प्रभावित रहे क्षेत्रों में शासन और प्रशासन की पहुंच फिर से मजबूत हो रही है।

बुनियादी ढांचे एवं कल्याणकारी कार्यों के साथ-साथ, 'बस्तर पांडुम' और 'बस्तर ओलंपिक' जैसी सांस्कृतिक पहल ने सामुदायिक भागीदारी व जनजातीय पहचान को मजबूत किया है। इन मंचों ने लाखों युवाओं और कलाकारों को एक साथ लाकर सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा दिया है, और साथ ही भागीदारी तथा नेतृत्व के नए अवसर पैदा किए हैं।

बस्तर में आया बदलाव यह दिखाता है कि स्थायी शांति तब आती है, जब सुरक्षा उपायों के बाद विकास, कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और समुदाय का सशक्तिकरण किया जाता है। छत्तीसगढ़ का अनुभव बताता है कि किस तरह सरकार की निरंतर मौजूदगी, स्थानीय भागीदारी और समावेशी विकास के जरिए संघर्ष से प्रभावित क्षेत्र को विकास तथा समृद्धि के रास्ते पर ले जाया जा सकता है।

एक दशक के बदलाव के परिणाम

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 126 से घटकर मार्च-अप्रैल 2026 तक शून्य हो गई। इसके अलावा, सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या भी 35 से घटकर शून्य हो गई है, जिससे सुरक्षा परिदृश्य में निर्णायक बदलाव आया है।

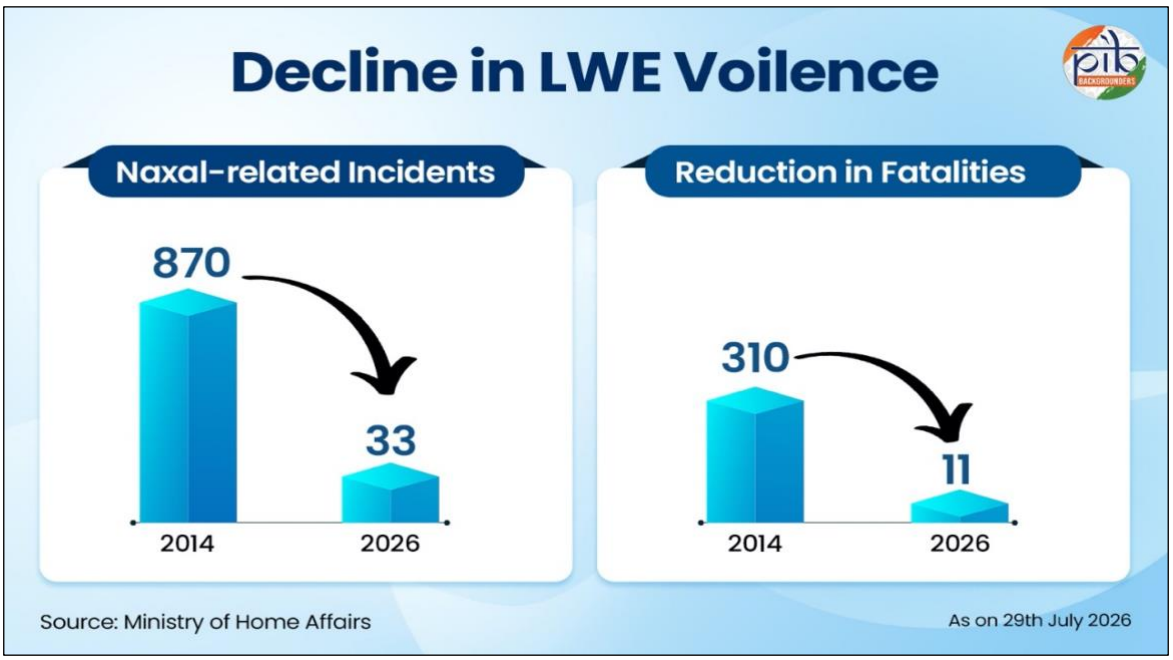


इस रणनीति का हिंसा के सभी प्रमुख पैमानों पर असर दिखाई देने लगा। वर्ष 2010 नक्सलवाद के इतिहास के सबसे हिंसक वर्षों में से एक था। उस वर्ष नक्सल-संबंधी 1,936 घटनाएं हुईं और 1,005 लोगों की जान गई। इसके बाद लगातार चलाए गए सुरक्षा अभियानों, विकास कार्यों और बेहतर प्रशासन के प्रयासों से वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के नेटवर्क को काफी कमजोर किया गया। नक्सल-संबंधी घटनाओं की संख्या वर्ष 2014 में 870 से घटकर वर्ष 2026 में (29 जुलाई 2026 तक) केवल 33 रह गई। इसी अवधि में मृतकों की संख्या भी 310 से घटकर 12 हो गई। हिंसा में आई यह निरंतर कमी नक्सली समूहों की गतिविधियों और क्षमता में आई गिरावट के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा, कनेक्टिविटी और जनता के भरोसे की धीरे-धीरे हो रही बहाली को दर्शाती है। यह रुझान सुरक्षा के माहौल में आए व्यापक सुधार का प्रमाण है। जिन क्षेत्रों में कभी अक्सर हिंसक घटनाएं होती थीं, वहां अब शांति और जन-सुरक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

हासिल की गई उपलब्धियों को सुदृढ़ करना: जून 2026 के बाद उठाए गए प्रमुख कदम

देश के वामपंथी उग्रवाद से मुक्त होने के बाद सरकार ने सुरक्षा के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों को और मजबूत करने तथा विकास की गति तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया। पहले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहे क्षेत्रों में शांति और प्रगति बनाए रखने के उद्देश्य से जून 2026 के बाद कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

सुरक्षा शिविरों को एकीकृत विकास केंद्रों (सेवा डेरा केंद्रों) में बदलना: वामपंथी उग्रवाद से मुक्त क्षेत्रों में स्थित सुरक्षा शिविरों में से लगभग एक-तिहाई को नागरिकों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'सेवा डेरा केंद्रों' में परिवर्तित किया जा रहा है। यह बदलाव दर्शाता है कि पहले उग्रवाद से प्रभावित रहे इन क्षेत्रों में अब केवल सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, जन-केंद्रित शासन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।



इन केंद्रों पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी:

- **जन सुविधा केंद्र:** स्थानीय निवासियों को एक ही छत के नीचे सभी सरकारी योजनाओं और ऑनलाइन डिजिटल सेवाओं की जानकारी और पहुंच प्रदान करना।
- **सामुदायिक विकास:** कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।
- **सामाजिक विकास:** युवाओं को खेल सुविधाएं और अवसर प्रदान करते हुए आदिवासी संस्कृति, लोक कलाओं और पारंपरिक त्योहारों को बढ़ावा देना।

- **आर्थिक विकास:** कृषि उपज एवं लघु वन उपज (एमएफपी), जैसे महुआ, इमली और तेंदू के पत्तों के प्रसंस्करण, ब्रांडिंग तथा बिक्री के माध्यम से स्थानीय समुदायों के लिए आय व रोजगार के अवसर बढ़ाना।

प्रायोगिक परियोजना के तहत, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित पांच सुरक्षा शिविरों को 'शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा केंद्रों' में परिवर्तित करने के लिए अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

एनआईडी ने इस परियोजना का व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया है और कार्य शुरू हो चुका है। इस परियोजना का खर्च गृह मंत्रालय की 'विशेष केंद्रीय सहायता' (एससीए) योजना के तहत वहन किया जाएगा।

कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच का सर्वेक्षण: गृह मंत्रालय ने अगस्त 2026 में संसद को दी गई जानकारी के अनुसार, एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से दक्षिण छत्तीसगढ़ के सात ऐसे जिलों में सर्वेक्षण कराया, जो पहले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की पहुंच का आकलन करना तथा आजीविका के नए अवसरों की संभावनाओं का पता लगाना था। सर्वेक्षण के दौरान शिक्षा के स्तर, स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों और प्राथमिक विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों तथा माध्यमिक स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी जुटाई गई। सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार को विकास संबंधी कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने तथा स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के अवसर सुनिश्चित करने में मदद कर रहे हैं।

नक्सल हिंसा के पीड़ितों को सहायता: 15 अक्टूबर 2026 को गृह मंत्री ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित करने के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत शुरू की गई इस पहल के लाभार्थियों में नक्सल हिंसा के पीड़ित भी शामिल थे।

नक्सल-मुक्त भारत में पहली दिवाली: प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2026 को बस्तर के करनपुर स्थित कोबरा ऑपरेशंस बेस पर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने इसे ऐसी पहली दिवाली बताया, जब देश का हर जिला नक्सलवाद से मुक्त है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले एक वर्ष के दौरान ड्यूटी पर किसी भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान की जान नहीं गई। यह 47 वर्षों में अपनी तरह की पहली उपलब्धि है।

भारत की सुरक्षा और विकास की कहानी का एक निर्णायक अध्याय

भारत का 'नक्सल-मुक्त' होना देश के स्वतंत्र इतिहास में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। यह निर्णायक नेतृत्व, नीतियों के निरंतर क्रियान्वयन तथा सुरक्षा, विकास और पुनर्वास को एक साथ जोड़कर अपनाई गई बहुआयामी रणनीति के प्रभाव को दर्शाता है।

भारत ने पिछले एक दशक में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के अपने दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव किया है। अब यह दृष्टिकोण केवल प्रतिक्रिया देने या हिंसा को रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में सक्रिय प्रयासों पर केंद्रित है। इस दिशा में अगला चरण अब तक हासिल उपलब्धियों को सुदृढ़ करना, उग्रवाद की दोबारा वापसी को रोकना, प्रभावित समुदायों का पूर्ण पुनर्वास करना और यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा के साथ निरंतर विकास, प्रभावी शासन तथा लोगों के अधिकारों और सार्वजनिक सेवाओं तक उनकी पूर्ण पहुंच बनी रहे।

'नक्सल-मुक्त भारत' की यह उपलब्धि केवल एक विद्रोह के अंत तक सीमित नहीं है। यह देश के सबसे कमजोर समुदायों में शामिल लोगों के लिए शांति, समावेश और प्रगति के एक नए अध्याय की शुरुआत है।

संदर्भ:

प्रधानमंत्री कार्यालय

- https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pm-celebrates-diwali-with-the-security-forces-at-cobra-operations-base-at-karanpur-in-bastar-chhattisgarh/
- https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pms-speech-during-interaction-with-the-security-forces-in-bastar-chhattisgarh/

गृह मंत्रालय

- https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2025-12/FAQs_LWE_18122025.pdf
- https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2026-04/MonthlyMajormarch_20042026.pdf
- https://www.pib.gov.in/newsite/erelcontent.aspx?relid=50833&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1532871&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2003503&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2120771&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2130295&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2163233&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2172513&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2180005&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2204629&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2247134&reg=3&lang=1

- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2262365&reg=3&lang=1
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2262512&reg=3&lang=1
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2262997&reg=3&lang=1
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2291043&reg=48&lang=1
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2294794&reg=48&lang=2
- https://www.mha.gov.in/index.php/left-wing-extremism-division?

भारतीय संसद

- https://sansad.in/getFile/annex/271/AU1196_egtT1x.pdf?source=pqars

प्रसार भारती

- https://newsonair.gov.in/security-forces-arrest-top-maoist-leader-misir-besra-in-jharkhand/
- https://newsonair.gov.in/jharkhand-police-secure-surrender-of-16-maoists-under-anti-naxal-campaign/
- https://newsonair.gov.in/govt-committed-to-providing-rehabilitation-to-victims-of-naxalism-and-people-with-disabilities-hm-amit-shah/

पत्र सूचना कार्यालय (अनुसंधान इकाई)

- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2182437&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=156467&ModuleId=3&reg=1&lang=1

- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2203440&reg=3&lang=1

सोशल मीडिया

- https://x.com/mygovindia/status/2067107501196378260?s=20
- https://www.facebook.com/reel/1779062126443871

पीके/केसी/आरटी/एनके